

**न्यायालय अपर कलेक्टर, नागौर**  
बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या- 94/2018

<b>अपीलान्ट</b>	<b>बनाम</b>	<b>रेस्पोडेन्ट</b>
सरवर खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी फागली हाल निवासी नागौर। उपस्थिति :-		तहसीलदार, (राजस्व) नागौर।
1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।		
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।		

**निर्णय**

दिनांक: 21-05-2018

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 166/2017 सरकार बनाम सरवर खां में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.01.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.02.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

अपीलान्ट ने अपने अपील के समर्थन में तहसीलदार, नागौर का निर्णय दिनांक 26.12.2017 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.17 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील पेश करने हेतु निर्धारित अवधि 25.01.18 है। नकल में तीन दिन का समय लगा जिसको समायोजित करने पर अपील पेश करने की निर्धारित अवधि दिनांक 28.01.18 होती है। परंतु अपीलार्थी बीमार हो जाने के कारण उक्त अवधि में अपील पेश नहीं कर सका। इसलिये अपील दिनांक 30.1.18 को पेश की गई। जो अवधि में शुमार किये जाने योग्य है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि -

{2}(I)- निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में रिट याचिका सं. 3854/2000 व 148/2001 में पारित स्थगन आदेश की अवहेलना करने की रिपोर्ट पेश करने के आधार पर जारी किया गया है व इसी आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी किया गया है। विदित रहे कि उक्त दोनो रिट पिटिशन में अपीलार्थी किसी भी प्रकार से पक्षकार नहीं है तथा जो भूमि अपीलार्थी ने विधिवत रूप से क्रय की है व जिस भूमि का अपीलार्थी सद्भाविक क्रेता है। वह भूमि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित उक्त दोनो प्रकरणों से संबंधित नहीं है। फिर भी अपीलार्थी की भूमि को उक्त रिट याचिकाओं में प्रश्नगत भूमि के साथ गलत रूप से जोड़कर गैर कानूनी तरीके से उक्त नोटिस जारी किया है। प्रथम दृष्टया अपीलार्थी की भूमि विवादित भूमि से संबंधित नहीं है। बल्कि चिपती भूमि है तथा खातेदारी की भूमि रही है। जिसका विवादित व अन्य किसी राजकीय भूमि से संबंधित नहीं है। फिर भी अपीलार्थी को उसके स्वामित्व की भूमि से गलत रूप से विवादित भूमि के साथ सम्मिलित कर गलत नोटिस जारी किया है तथा गलत कार्यवाही संघारित की गई है। यदि अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की भूलवश अनुपालना नहीं कर भूलवश व जानकारी के अभाव में अवहेलना भी की गई तो इस संबंध में किसी भी प्रकार से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जानी विधि सम्मत नहीं है बल्कि माननीय उच्च न्यायालय में ही चाराज्योही की जा सकती है। रिट में जो भूमि है उसका अपीलार्थी की भूमि



**अपर कलेक्टर, नागौर**

संबंध नहीं है। साथ ही उक्त भूमि के मालिकाना हक बाबत माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम निर्णय आना बाकी है ऐसी स्थिति में यह किसी प्रकार से साबित नहीं है कि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से सरकार का अधिकार है। उक्त भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय के समक्ष विवाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा भूमि अपीलार्थी के स्वामित्व की है। जिसके संबंध में अपीलार्थी के सद्भाविक अधिकार प्रमाणित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में धारा 91 के तहत समरी प्रोसिडिंग नहीं की जा सकती है व न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जा सकती है। इसलिये संपूर्ण कार्यवाही ही विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर की गई है, जो निरस्तनीय है।

{2}(III)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में वर्णित रिट याचिका में नागौर के पुराना खसरा नं. 558, 559, 560, 560/1 जिनके नये खसरा नं. 568, 559, 570, 571, 578, 582, 579, 580, 581, 594, 564, 565, 583 व 626 संबंधित विवाद है तथा चारों ओर उक्त खसरान में घनी आबादी की बसावट है लेकिन उन्हे किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा केवल कुछ लोगो को चिन्हित कर नोटिस जारी किया है। जो विधि के समानता के अधिकार के पूर्णतया विपरीत है तथा भेदभावपूर्ण कार्यवाही है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। साथ ही उक्त भूमि को अंतिम रूप से सरकारी भूमि घोषित नहीं किया गया है। इसलिये उक्त प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। फिर भी गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। नोटिस के संबंध में अपीलार्थी ने अपने जवाब में उपरोक्त तथ्यों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। परंतु तहसीलदार नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.12.17 को पारित करते समय उक्त तथ्यों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया व न ही उक्त तथ्यों का अंकन अपने आदेश में ही किया गया है। इससे पूर्णतया प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन किये बिना ही व जवाब एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)– धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा उसी स्थिति में नोटिस जारी किया जा सकता है जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भी भूमि को अपने अधिभोग में लेता है या अधिभोग में रखना जारी रखता है। अतिचारी समझा जायेगा या धारा 5 राजस्थान अधिनियम की परिभाषा में अतिचारी हो। लेकिन अपीलार्थी के मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त भूमि जो कि पूर्व में खातेदारी भूमि थी। जिसे विधिवत रूप से खरीद किया गया है। जो किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि नहीं है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर विधि पूर्वक कब्जा है व किसी भी रूप से अतिचारी के रूप में काबिज नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पूर्णतया प्रमाणित है कि तहसीलदार नागौर द्वारा जारी नोटिस क्षेत्राधिकार से परे व विधि विरुद्ध है। जिसके आधार पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही संस्थित नहीं हो सकती है व न ही अतिक्रमी घोषित किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)– विवादित भूमि खसरा नं. 572/937 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पूर्व में रामकिशोर व बस्तीराम की खातेदारी की भूमि थी। जिसको उनके द्वारा बट्टी खाती निवासी कजनाउ, गीतादेवी निवासी नागौर, इब्राहीम खां निवासी नागौर, जरीबान, शेरखान, शमशेर खान निवासीगण नागौर को बेचान किया गया। जिसका उनके नाम से नामान्तरकरण सं. 573 भरा गया। इसके बाद शेरखान जो कि अव्यस्क था। उसकी भूमि का बेचान उसके पिता इब्राहीम खा द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामा के दिनांक 4.10.88 को सदीक खां कायमखानी निवासी छावटा कलां, मुमताजबानो कायमखानी निवासी छोटी बेरी, मुन्नीबानो कायमखानी निवासी सियास रमजान खां कायमखानी निवासी चोलूखां जरीबान बेगम कायमखानी निवासी निम्बीटका खान मो. कायमखानी निवासी छावटाकलां, साबिरखां कायमखानी निवासी चोलूखां को बेचान किया गया व अन्य पंजीकृत बेचाननामा के जरिये बचनूखां कायमखानी निवासी छावटा सतार खां कायमखानी निवासी बेरीछोटी भंवरूखां कायमखानी निवासी सियास, भंवरू खां कायमखानी निवासी माहमना मानूखां कायमखानी निवासी चोलूखां मुमताजखां कायमखानी निवासी निम्बीटका नवाब खां कायमखानी निवासी छावटाकलां व सरदार खां कायमखानी निवासी चोलूखां को विक्रय की गई तथा उक्त भूमि में से अपीलार्थी ने भूखण्ड जरिये इकरारनामे के क्रय किया। जिस पर अपीलार्थी काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपने खरीद सुदा भूमि पर काबिज है। साथ ही रिट याचिका में जो भूमि विवादित बतायी गई है। उसके संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय



अपर कलक्टर, नागौर

के यहां रिट याचिका पेश की गई है। जो विचाराधीन है। जहां पर अभी अंतिम निर्णय होना है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय से पूर्व किसी भी प्रकार से धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित नहीं हो सकती है। अपीलार्थी की स्वयं की खरीदसुदा सम्पत्ति पर काबिज है। ऐसी स्थिति में धारा 91 की कार्यवाही निरस्त होने योग्य थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे(एससी) 1995 पेज 208 से 210 नजीरे पेश की है।

[2](VI)- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना करने के आधार पर उक्त नोटिस जारी किया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आदेश की अवहेलना नहीं की है तथा अपीलार्थी का निर्माणआदेश से पूर्व का किया हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई। जिसे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी द्वारा आदेश के पश्चात अवहेलना करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण करवाया हुआ हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण किसी भी प्रकार से साबित नहीं होते हुए भी गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे(एससी) 1995 पेज 208 से 210 नजीरे पेश की है।

[3]- राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांत द्वारा नागौर में स्थित राजकीय अंगौर कस्टोडियन भूमि पर अतिक्रमण कर मकान, दुकाने व चारदीवारी बना लिए जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को नोटिस जारी किया गया। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन अंगौर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिए।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 572/937 रकबा 30x80 वर्गफुट गैर मुमकिन अंगौर राजकीय कस्टोडियन भूमि पर मकान, दुकाने व चारदीवारी का निर्माण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांत को विधिवत नोटिस दिया गया है। जिस पर अपीलांत के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय का उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाना रिकार्ड से पाया जाता है। जहां तक अपीलांत का यह कथन है कि उक्त भूमि के स्वामित्व को लेकर याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, के तथ्यों को रेस्पोजेन्ट द्वारा भी स्वीकार भी किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलांत की भौतिक रूप से बेदखली भी स्थगित रखी हुई है। जहां प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है, वहां इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने पर तदनुसार कार्यवाही/पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्वतः ही उत्तरदायी है। वर्तमान स्थिति में आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटि रही हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन अंगौर राजकीय कस्टोडियन भूमि है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं उसमें पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए ही समुचित कार्यवाही की जावे।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)  
अपर कलक्टर,  
नागौर